9.12.16 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों व शहादत के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की निवेदन की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम कोचरिया तहसील मांडल में स्थित है इसके गोपाल जी महाराज स्थान मांडल पुजारी जयशंकर S/O चतरभुज ब्राह्मण के नाम पर दर्ज रेकर्ड थी। जरिये इन्तकाल नं० 218 दि० 27-2 के द्वारा विरासत के लक्ष्मीलाल S/O. जयशंकर शर्मा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2023 से 2026 से होती है। वादी को विवादित आराजियात जरिये वसीयतनामा रजिस्टर्ड के वादी के पक्ष में निष्पादित किया। जिसकी ताईद प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा की फोटो प्रति से होती है। मुताबिक आराजी नं० 206 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं० 508 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कायम हुआ। जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलान केस फाइल की फोटो प्रति से होती है। जो प्रतिवादी सं० 1 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों, शहादत व वाद पत्र में अंकित तथ्यों के मद्देनजर विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

बनाम

किस्म मुकदमा ———————— नं. ———————— सन् ————————

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्तकारान गोपाल जी महाराज स्थान देव ~~के~~ के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसको के जरिये वसीयत रजिस्टर्ड के वादी के पक्ष में निष्पादित किया। किन्तु रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर विवादित काश्तकारान वादी के नाम दर्ज रेकार्ड न होकर केवल मात्र गोपाल जी महाराज के स्थान देव के नाम ही जबकि विवादित काश्तकारान जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादी के नाम दर्ज होनी चाहिये। क्योंकि विवादित काश्तकारान पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है. जिसकी तस्दीक वादी के जवाब द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से होती है। वाद पत्र के खण्डन में प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा न तो कोई जवाबदावा प्रस्तुत किया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है. ऐसी स्थिति में वादी की विवादित काश्तकारान का रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का अधिकारी होकर है. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित है। :: आदेश :: वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... में जा...
	डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोचरिया पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता आराजी नं. 508 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त इन्द्राज काबिल वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रिकार्ड करते हुए प्रतिवादी नं. 1 का नाम विलोपित किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–215 / 2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री शंकरदास पिता भोजा दास बैरागी, उम्र बालिग निवासी कोचरिया तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ––––वादी

बनाम

1–श्री गोपाल जी महाराज स्थान देह जरिये सचिव बद्रीलाल सुखववाल गोपाल द्वारा ट्रस्ट, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ––––प्रतिवादीगण

–––––

वादी की ओर से श्री पवन शर्मा, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 9.12.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोचरिया पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 508 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 9.12.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा